# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत
## पीठासीन अधिकारी :– श्री.मुकेश चौधरी .आर..ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 1080/2017

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. गैरकी देवी विधवा स्व. दानाराम | | 1. दुर्गाराम पुत्र जेठाराम |
| 2. मोहनलाल पुत्र स्व0 दानाराम | | 2. दीपाराम पुत्र जेठाराम |
| 3. संतोष पुत्री स्व. दानाराम जातियान सीरवी निवासीगण बेरा बावड़ी कुशालपुरा तहसील रायपुर जिला पाली (राज0) | | 3. लालुराम उर्फ पाबूराम पुत्र जेठाराम<br>4. राजीराम पुत्र जेठाराम<br>5. बालुराम पुत्र जेठाराम जातिगण सीरवी निवासीगण करमावास मालियान एवं कुशालपुरा तहसील रायपुर जिला पाली (राज0)<br>6. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान। |

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम,1955 सपठित धारा 136 राज0भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री ताराचंद भाटी व देवेन्द्र व्यास अधिवक्ता मय वादीगण उपस्थित।
2. श्री नृसिंह राठौड़ व कुन्दनमल अधिवक्ता मय प्रतिवादीगण उपस्थित।

–::निर्णय::–  दिनांकः– 12.03.2018

अधिवक्ता वादीगण ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा उदेशीकुआं पटवार हल्का मुरड़ावा भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र चण्डावल तहसील सोजत जिला पाली में ख0नं0 828, 829, 830, 834, 835, 836, 837, 838 व 842 कुल किता खसरा 09 रकबा 11.3000 हैक्टर किस्म बा0दो0 स्थित है। उक्त आराजीयात की कृषि भूमि में वादी के पिता स्व0 दानाराम पुत्र जेठाराम व प्रतिवादी 1 लगायत 5 तमाम का शामलाती 2/10 अर्थात 1/5 हिस्सा हक हकूक खातेदारी का आता है। राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता/पति का नाम कानाराम इन्द्राज सुदा है। जबकि वादीगण के पिता/पति का वास्तविक नाम दानाराम पुत्र जेठाराम है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण के पति/पिता व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने तत्कालीन खातेदार लादू, हीरा पीसरान भीका जाति सीरवी निवासीगण करमावास मालियान तहसील रायपुर से जरिए बेचान पंजीकृत दस्तावेज दिनांकित 17.08.1977 को खरीद कर कब्जा काश्त प्राप्त किया है। माफिक बेचान खरीददार दुर्गाराम, दीपाराम, दानाराम, बालुराम, राजीराम, पाबूराम पीसरान जेठाराम के नाम से खरीद कर कब्जा काश्त प्राप्त किया है। वादग्रस्त आराजीयात का आधे हिस्से में से 2/5 हिस्सा यानि 14 बीघा 1 बिस्वा भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। उक्त बेचान रजिस्ट्री का राजस्व रेकर्ड में म्युटेशन इन्द्राज नही हुआ तथा बरवक्त सेटलेमेंट, सेटलमेंट अधिकारी ने मूल खातेदार लादू, हरिया वगैरह का

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

पर्चा लगान संख्या 242 जारी किया गया है, तब वादीगण के पति/पिता व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा सेटलमेंट अधिकारी के समक्ष एक उजरदारी प्रस्तुत की गई, जो उजरदारी 356/79 दर्ज रजिस्टर होकर उसका निस्तारण दिनांक 12.12.1979 को किया गया, जिसके निर्णय में उजरदारी स्वीकार करते हुए खरीदकर्ता का माफिक बेचान रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये गये। परन्तु निर्णय दिनांक 12.12.1979 के अनुसार वादीगण के पिता/पति का नाम माफिक बेचान दानाराम के बजाय पैन ऑफ स्लीप व गलती से कानाराम अंकित हो गया है। जिससे उक्त निर्णय की पालना में संशोधित पर्चा लगाान जारी किया गया, उसमें भी कानाराम अंकित हो गया, जिससे राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम दानाराम के बजाय कानाराम गलत इन्द्राज हुआ है। सेटलमेंट अधिकारी के द्वारा माफिक बेचान में अंकित नाम का ही इन्द्राज करने के आदेश दिया जाना चाहिए था। परन्तु गलती से दानाराम के बजाय कानाराम अंकित हुआ हैं। विधि की सुस्थापित धारणा है कि रजिस्टर्ड बेचान में इन्द्राज अनुसार ही माफिक इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में किया जाना होता है। राजस्व रेकर्ड में रजिस्टर्ड बेचान के विपरित किया गया आदेश व इन्द्राज वादीगण के अधिकारो के विरूद्व बेअसर व शून्य है। वादीगण को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी कतई नही थी तथा दानाराम का स्वर्गवास दिनांक 01.11.2008 को हो गया है एवं दानाराम के वारिसान 1 लगायत 3 वादीगण ही है उसके अलावा अन्य कोई वारिसान नही है। दानाराम के वारिसान मोहनलाल द्वारा किसान केडिट ऋण लेने हेतु राजस्व नकले देने हेतु पटवारी हल्का मुरडावा के पास दिनांक 25.07.2017 को गया तब सर्वप्रथम पता चला कि स्वर्गीय दानाराम के वारिसानो का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नही हुआ है तथा राजस्व रेकर्ड में दानाराम के वारिसान का नाम इन्द्राज का कहने पर पटवारी हल्का ने बताया कि राजस्व रेकर्ड में आपके पिता दानाराम का नाम अंकित नही है, जबकि कानाराम नाम अंकित है तो वादी मोहनलाल ने बताया कि जेठाराम के कानाराम के नाम से कोई पुत्र नही है तथा मेरे पिता ने उक्त कृषि भूमि को खरीद कर कब्जा काश्त प्राप्त किया है। तब पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रेकर्ड में सुधार की सलाह दी गई तब राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की गई तथा नकले प्राप्त होने पर दिनांक 01.08.2017 को सेटलेमेंट के दौरान गलत इन्द्राज की सर्वप्रथम जानकारी हुई है, उसके पूर्व वादीगण के पूर्वज दानाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में कानाराम दर्ज होने की कोई जानकारी नही थी। वादीगण माफिक रजिस्टर्ड बेचान अनुसार राजस्व रेकर्ड में कानाराम के बजाय दानाराम पुत्र जेठाराम इन्द्राज करवाने के अधिकारी है तथा वादीगण इस आशय की घोषणा करवाने का अधिकारी है तथा राजस्व रेकर्ड में कानाराम के बजाय दानाराम वास्तविक नाम का सुधार करवाने का अधिकारी है। ताकि सेटलेमेंट अधिकारी द्वारा पत्रावली संख्या 356/1979 में दिनांक 12.12.1979 को आदेश पारित कर कानाराम पुत्र जेठाराम के नाम से जो आदेश पारित किया है, उस हद तक आदेश एबइनिशयों वोईड होने से शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया जाना कानूनन आवश्यक व न्याय संगत है। अतः यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का पेश किया है। वाद में वादग्रस्त भूमि के किसी हिस्से को लेकर कोई विवाद नही है तथा मात्र कानाराम गलत इन्द्राज को सुधार करने हेतु ही

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

वाद प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे माफिक रजिस्टर्ड बेचान में खरीद किये गये खरीदकर्ताओ को ही पक्षकार प्रतिवादीगण बनाया गया है, अन्य सहखातेदार के अधिकारों के विरूद्ध असर नही होने से तमाम सहखातेदार को वाद में आवश्यक पक्षकार नही होने से पक्षकार नही बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 6 तहसीलदार भूमि धारक आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी बनाया गया है। चूंकि तहसीलदार राजकीय अधिकारी है तथा इनके विरूद्ध वाद लाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। परन्तु वाद आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देने के समय से ऋण के अभाव में महरूम होना पड़ेगा, जिससे वादीगण को धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस की बाध्यता की छुट दिया जाना आवश्यक है। जिससे प्रार्थना–पत्र धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया है। बिनायदावा स्व. दानाराम द्वारा वादग्रस्त आराजी में जरिए रजिस्टर्ड बेचान हिस्सा क्रय करने से तथा सेटलमेंट अधिकारी द्वारा सेटलमेंट के दौरान स्व. दानाराम का नाम गलत रूप से कानाराम इन्द्राज कर देने से तथा स्व. दानाराम का स्वर्गवास दिनांक 01.11.2008 को हो जाने से तथा पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 25.07.2017 को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी होने से एवं संबंधित राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित नकले दिनांक 01.08.2017 को प्राप्त करने से जानकारी होने से बमुकाम उदेशीकुआं तहसील सोजत पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद पेश किया है। वादीगण द्वारा उक्त अनवान व प्रकरण का वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 6 तहसीलदार सोजत को घोषणा के वाद में पक्षकार बनाया है। प्रतिवादी संख्या 6 राजकीय अधिकारी है, जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का वैधानिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन वादीगण का वाद आवश्यक प्रकृति का है तथा राजस्व रेकर्ड में गलत प्रविष्टी इन्द्राज हो जाने से वादीगण के साथ किसी भी क्षण विधि विरूद्ध कृत्य हो सकता है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 6 को नोटिस देने में जो समयावधि गुजारी जावेगी, उसमें वादीगण के वैध अधिकारो पर कुठारघात होगा, इसलिए नोटिस की बाध्यता की नोटिस डिसपेंसविथ छुट दिया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादिया ने माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने तथा विवादित आराजी की उक्त भूमि वादी के पिता स्व0 दानाराम पुत्र जेठाराम व प्रति0 सं0 1 से 5 का सामलाती 2/10 अर्थात 1/5 हिस्सा हक हकूक खातेदारी का आता है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम कानाराम गलत इन्द्राजसुदा है, जबकि वादीगण के पिता/पति का वास्तविक व सही नाम दानाराम पुत्र जेठाराम होने से खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना लाजमी है, किन्तु दानाराम का स्वर्गवास हो जाने से एवं सैटलमेंट अधिकारी द्वारा पत्रावली संख्या 356/1979 में दिनॉक 12.12.79 को कानाराम पुत्र जेठाराम का नाम दर्ज करने हेतु प्रदत गलत रूप से आदेश को उस हद तक एब–इनिशियो वोईड होने से शून्य व निष्प्रभावी घोषित कर पुनः दुरूस्त किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिए समनस वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की ओर से दिनॉक 23.10.2017 को ईकबालिया ज0दा0 पेश किया, सामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता वादीगण ने दिनॉक 10.01.2018 को शहादत वादीगण pw-1 मोहनलाल व pw-2 दीपाराम के

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

तस्दीक सुदा शपथ–पत्र पेश किया, मुख्य परीक्षण एवं जिरह प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, सोजत पर बयान कलमबद्ध करवाये जाकर सामिल पत्रावली किए गए अन्य शहादत वादीगण पेश नही करना चाहने से शहादत वादी दिनॉक 12.03.2018 को बन्द की गई।

बहस वकुलाय उभयपक्ष एवं प्रति0सं0 6 सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने व्यक्त किया कि वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात अनुसार वादी के पिता का नाम बेचान पंजीबद्ध दस्तावेज दि0 05.09.77 में बहक दुर्गाराम, दीपाराम, दानाराम, बालूराम, राजीराम व पाबूराम पि0 जेठाराम अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि वादीगण के पिता का नाम दानाराम अंकित है न कि कानाराम है। जबकि पंजीबद्ध बेचान का नामान्तरकरण दर्ज करते समय सैटलमेंट का समय होने से पत्रावली संख्या 356/79 सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, जोधपुर ने कायम कर लादू हीरा पि0 भीका द्वारा विकित 2/5 हिस्से की भूमि में उक्त नाम खारिज कर दुर्गाराम दीपाराम बालूराम, राजीराम पाबूराम के साथ त्रुटिवश कानाराम दर्ज कर दिया गया। विकित भूमि ख0नं0 183/16 रकबा 70 बीघा 04 बिस्वा बा0दो0 के सैटलमेंट द्वारा नये ख0नं0 828, 829, 830, 834, 835, 836, 837, 838, व 842 कुल किता 9 रकबा 11.30 बा0दो0 दर्ज हुए, जो पर्चा लगान, मिलान खसरा पृष्ठ आठ तथा जमाबन्दी सम्वत् 2033–2052 से स्पष्ट है। मौजा–उदेशीकुआं की प्रस्तुत अन्य जमाबन्दीयॉ सैटलमेन्ट विभाग की आदेशिकाओं, मृत्यु प्रमाण–पत्र तिथि0 1.11.2008 दीनाराम दि0 05.11.2008, वारिस प्रमाण पत्र दि0 10.08.2017 ग्राम पंचायत कुशालपुरा जॉब कार्ड, आधार कार्ड संख्या 625243920432, चुनाव फोटो पहिचान–पत्र ALR/0648832 दिनॉक 01.01.2013, विद्युत बिल, राशन कार्ड, आदि दस्तावेजी सबूतों से भी पंजीयन दस्तावेज में अंकित सही व वास्तविक नाम दानाराम होने की ही संपुष्टि होती है। फलस्वरूप वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने तथा वादीगण के पिता का वर्तमान राजस्व रेकर्ड में कानाराम के स्थान पर दानाराम दुरूसत दर्ज किये जाने तथा दानाराम चुॅकि फौत हो चुका है, वादीगण का उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, ई0ज0दा0 प्रति0, शहादत वादीगण pw-1 मोहनलाल स्वयं एवं pw-2 स्वतंत्र गवाह एवं सहखातेदार दीपाराम के तस्दीक सुदा शपथ–पत्रों पर मुख्य परीक्षण एवं जिरह प्रति0 सं0 6 की ओर से सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, सोजत पर कलमबद्ध करवाये गये बयानात एवं प्रस्तुत अन्य समस्त दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात अनुसार वादी के पिता का नाम बेचान पंजीबद्ध दस्तावेज दि0 05.09.77 में बहक दुर्गाराम, दीपाराम, दानाराम, बालूराम, राजीराम व पाबूराम पि0 जेठाराम अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि वादीगण के पिता का नाम दानाराम अंकित है न कि कानाराम है। जबकि पंजीबद्ध बेचान का नामान्तरकरण दर्ज करते समय सैटलमेंट का समय होने से पत्रावली संख्या 356/79 सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, जोधपुर ने कायम कर लादू हीरा पि0 भीका द्वारा विकित 2/5 हिस्से की भूमि में उक्त नाम

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

खारिज कर दुर्गाराम दीपाराम बालूराम, राजीराम पाबूराम के साथ त्रुटिवश कानाराम दर्ज कर दिया गया। विक्रिय भूमि ख0नं0 183/16 रकबा 70 बीघा 04 बिस्वा बा0दो0 के सैटलमेंट द्वारा नये ख0नं0 828, 829, 830, 834, 835, 836, 837, 838, व 842 कुल किता 9 रकबा 11.30 बा0दो0 दर्ज हुए, जो पर्चा लगान, मिलान खसरा पृष्ठ आठ तथा जमाबन्दी सम्वत् 2033–2052 से स्पष्ट है। मौजा–उदेशीकुआं की प्रस्तुत अन्य जमाबन्दीयॉ सैटलमेन्ट विभाग की आदेशिकाओं, मृत्यु प्रमाण–पत्र तिथि0 1.11.2008 दीनाराम दि0 05.11.2008, वारिस प्रमाण पत्र दि0 10.08.2017 ग्राम पंचायत कुशालपुरा जॉब कार्ड, आधार कार्ड संख्या 625243920432, चुनाव फोटो पहिचान–पत्र ALR/0648832 दिनॉक 01.01.2013, विद्युत बिल, राशन कार्ड, आदि दस्तावेजी सबूतों से भी पंजीयन दस्तावेज में अंकित सही व वास्तविक नाम दानाराम होने की ही संपुष्टि होती है। वस्तुतः वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि उक्तानुसार होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना, पंजीयन दस्तावेज में अंकित केता वादीगण के पिता का गलत दर्ज नाम कानाराम के बजाय सही व वास्तविक नाम दानाराम दर्ज करवाये जाने हद तक वाद डिक्री किया जाना तथा दानाराम के मृत्यु प्रमाण–पत्र अनुसार उनके फौत हो जाने से उनके विधिक वारिसानों की जॉच करके वादीगण के नाम नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज किया जाना उचित समझते हैं

## –::आदेश::–

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा–उदेशीकुआं पटवार हल्का मुरड़ावा तहसील–सोजत में स्थित कृषि भूमि ख0नं0 828, 829, 830, 835, 836, 838 व 842 कुल किता 9 रकबा 11.30 हैक्टर बा0दो0 भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज 2/10 हिस्से में वादीगण के पिता का गलत रूप से दर्ज कानाराम के स्थान पर सैटलमेंट विभाग द्वारा पत्रावली संख्या 356/79 बेचान अमल आदेशिका दि0 12.12.79 के जरिए बेचान दस्तावेज अनुसार दुरूस्ती की हद तक आदेशित किया जाकर दानाराम दुरूस्त दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तत्पश्चात चूँकिं दानाराम प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण–पत्र के आधार पर फौत हो चुके है, उनके विधिक वारिसानों की जॉच करके वादीगण के नाम नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करें। डिक्री पर्चा पृथक से मुर्तिब किया जावें। तहसीलदार सोजत को निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उप खण्ड अधिकारी
(मुकेश चौधरी)
सोजत (जिला-पाली) राज.
उप खण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनॉक 12.03.2018 सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.